136

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3239—एक/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—07—2013 के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 38/2011—12/निगरानी

.....

1— कल्याण पुत्र हंसराज
2— महाराज सिंह पुत्र हंसराज
3— कमलेश पुत्र हंसराज
निवासीगण— ग्राम टुडीला तहसील गोहद(म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

बृजमोहन पुत्र रामस्वरूप
निवासी— ग्राम टुडीला तहसील गोहद(म0प्र0)

.....अनावेदक

.....

श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 16-1-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 31—07—2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, गोहद के समक्ष ग्राम टुडीला में स्थित विादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे क्र0 34, 35, 58/3, 181, 417, 715, 407, 408/1, 319, 841/3 कुल किता 11 कुल रकबा 4.77 है0 में से रकबा 0.105 है0 यानि 10 विस्वा भूमि जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 28.06.94 द्वारा विक्रेता रामेश्वर पुत्र रूपसिंह जाट, से क्रय कर नामांतरण हेतु आवेदन—पत्र 14 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया, जो तहसील न्यायालय में प्र0क्र0

04/2008–09/अ–6 पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 26.07.2009 द्वारा अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गोहद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 49/2008–09/अपील पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 13.01.11 द्वारा आवेदक की अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसील न्यायालय को अभिलेख व साक्ष्य की विवेचना कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, गोहद के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्र0क्र0 68/2010–11/निगरानी पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 24.11.2011 द्वारा अनावेदक की निगरानी निरस्त की गई। अनावेदक द्वारा पुनः अनुविभागीय अधिकारी गोहद के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्र0क्र0 38/2011–12/निगरानी पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 31–07–2013 द्वारा स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी, गोहद का आदेश निरस्त कर दिया। जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदक द्वारा 14 वर्ष पश्चात नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । इतनी लम्बी अवधि तक विक्रय पत्र को क्यों छुपाया गया, जबकि ग्राम बन्दोबस्त के दौरान मुनादी कराई गई थी। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर है। म0प्र0भू0राजस्व संहिता में हुये संशोधन के पश्चात निगरानी श्रवण करने का अधिकार न होने के बावजूद उक्त निगरानी प्रकरण में आदेश पारित करने में भूल की है। अनावेदक द्वारा जो विक्रय पत्र रामेश्वर से सम्पादित कराया गया है सम्पूर्ण खाते में रामेश्वर का हिस्सा 1/4 है। अनावेदक ने रामेश्वर के हिस्से 1/4 में से मात्र 10 विस्वा भूमि यानी 0.11 है0 भूमि क्रय की है। इस प्रकार आवेदकगण का खाते की भूमि में प्रत्येक सर्वे नं0 में 1 विस्वा में से भी कम भूमि आती है। जबकि विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा एक ही सर्वे नं0 58/3 बन्दोबस्त नं0 273 रकबा 0.11 यानी 10 विस्वा पर नामांतरण किये जाने में भूल की है। सर्वे क्र0 58/2 रकबा 0.600 आरे को आवेदकगण द्वारा बॉके सिंह पुत्र ग्याप्रसाद से जये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.92 द्वारा क्रय किया जाकर बन्दोबस्त में बनाये गये सर्वे क्रमांकों का स्वामी होकर आधिपत्य धारी है। इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया । जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश

अवैध होकर निरस्तनीय है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना भेजी गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ मेरे द्वारा आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक द्वारा ग्राम टुडीला की आराजी उक्त भूमि के पूर्व भूमिस्वामी रामेश्वर सिंह पुत्र श्रीरूप सिंह से विधिवत प्रतिफल देकर जर्ये बयनामा क्रय की गई है, जिसके आधार पर उसके द्वारा क्रय करने के 14 वर्ष पश्चात अधीनस्थ तहसील न्यायालय में नामांतरणहेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत आवेदन पर तहसील न्यायालय द्वारा विज्ञप्ति जारी कर प्रकरण में आवेदकगण को साक्ष्य एवं सुनवाई उपरांत दिनांक 26.02.09 से अनावेदक का नामांतरण स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गोहद के न्यायालय में दिनांक 04.08.2009 को लगभग 6 माह बाद अपील प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 का आवेदन मेडीकल सर्टीफिकेट के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, गोहद के द्वारा प्रस्तुत अपील पर धारा 5 के संबंध में बिना कोई निष्कर्ष निकाले सीधे अंतिम आदेश पारित कर विक्रय पत्र वर्ष 1994 का होने एवं साक्षियों की सही विवेचना न होने से अपर तहसीलदार का नामांतरण आदेश दिनांक 26.02.09 निरस्त कर प्रकरण पुनः अभिलेख व साक्ष्य की विवेचना उपरांत विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये विधिवत आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। यह प्रक्रिया न्याय सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होती है। क्योंकि जहां पर विचारण न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनवाई उपरांत आदेश पारित किया गया हो, वहां पर 6 माह बाद के प्रस्तुत अपील पर धारा 5 के संबंध में भी आदेश पारित करना चाहिये था, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया । इसके तिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन में वर्णित आवेदक क्र0 1 के कूल्हे के दर्द होने से विलंब का कारण बताया गया है, जबकि अन्य पक्षकार भी तो अपील नियम समय में प्रस्तुत कर सकते थे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जहां तक विक्रय पत्र पुराना होने का प्रश्न है तो जब तक विक्रय पत्र सिविल न्यायायल द्वारा निरस्त नहीं किया जाता, विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता नामांतरण कराने का हक रखता है। तहसील न्यायालय में अपर तहसीलदार द्वारा विधिवत विज्ञप्ति जारी

कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में बयनाम के आधार पर आदेश पारित किया गया है। न्यायालय अपर कलेक्टर के समक्ष अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अपील का विलंब का प्रश्न है तो अभिभाषक की गलती का दण्ड पक्षकार को दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अनावेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गोहद के आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2011 की निगरानी नियत समय में आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। आयुक्त द्वारा अनावेदक की निगरानी अधिकार क्षेत्र उनके न्यायालय को न होकर कलेक्टर न्यायालय को होने के संबंधी आदेश पारित दिनांक 24.11.2011 के विरूद्ध कलेक्टर न्यायालय में दिनांक 07.12.2011 को अंदर म्याद प्रस्तुत किया है जो अपर कलेक्टर द्वारा मान्य किया गया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–07–2013 न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर